

न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्या:- 513/17 (RCMS No. 2017/00549) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

नगर विकास न्यास सवाई माधोपुर जरिये सचिव, नगर विकास न्यास सवाई माधोपुर राजस्थान

.....अपीलान्त

बनाम

1. शंकर पुत्र कल्याण जाति माली निवासी आलनपुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर
2. किस्तूरी पत्नि कल्याण जाति माली निवासी आलनपुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर
3. मेधराज पुत्र शंकर जाति माली निवासी आलनपुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर
4. सरकार जरिये तहसीलदार सवाई माधोपुर

..... रैसपो0

अपील विरुद्ध संशोधित आदेश उपखण्ड
अधिकारी सवाई माधोपुर दिनांक 03.10.17 पूर्व
आदेश दिनांक 15.01.2015

उपस्थिति:-

1. श्री राकेश सिंह वकील अपीलान्त
2. श्री पंकज कुमार वकील रैसपो0

निर्णय

दिनांक:-24.05.2018

यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 15.01.2015 एवं संशोधित आदेश दिनांक 03.10.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि पूर्व निर्णय दिनांक 15.01.15 के द्वारा विवादित आराजी ख0 नं0 2717/3119 रकवा 0.42 है0 तथा ख0 नं0 2718 रकवा 0.34 है0 को रैसपो0 शंकर वगैरहा की खातेदारी के बजाय सिवायचक दर्ज करने एवं ख0 नं0 2503 रकवा 067 सिवायचक को शंकर वगैरहा के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये गये थे। तहसीलदार सवाई माधोपुर ने इस निर्णय

के संबंध में मार्गदर्शन चाहा कि ख0नं0 2503 रकवा 0.67 है0 वर्तमान में नगर विकास न्याय सवाई माधोपुर के नाम दर्ज है इसलिये अमल किया जावे या नहीं ? तहसीलदार सवाई माधोपुर के पत्र के आधार पर नगर विकास न्यास को पक्षकार बनाया। नगर विकास न्यास ने जबाब पेश किया कि उक्त आराजी नगर विकास न्यास के नाम दर्ज है जिस पर अवैधानिक तरीके से कब्जा करना अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। अतः वादी का वाद खारिज किया जावे। तहसीलदार ने इसका जबाब पेश किया कि हाल ख0 नं0 2501 रकवा 0.50 है0, 2502 रकवा 0.22 है0, 2502/3226 रकवा 0.01 है0, 2502/3227 रकवा 0.01 है0, 2053 रकवा 0.67 है0, 2717/3119 रकवा 0.09 है0 कुल किता 6 रकवा 1.50 पर वादी शंकर पुत्र कल्याण व मेधराज पुत्र शंकर माली काबिज है जिसमें शंकर पुत्र कल्याण को 3/4 हिस्सा व मेधराज पुत्र शंकर हिस्सा 1/4 है। वादीगण का आराजी ख0 नं0 2503 रकवा 0.67 है0 वॉके ग्राम आलनपुर पर कब्जा है। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर ख0 नं0 2503 रकवा 0.67 है0 पर प्रार्थीगण/रैस्पो0 का कब्जा मानते हुऐ आदेश पारित किया कि ख0 नं0 2717/3119 रकवा 0.42 है0 एवं 2718 रकवा 0.34 है0 जो प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है, को नगर विकास न्यास के नाम खातेदारी दर्ज करने तथा ख0 नं0 2503 रकवा 0.67 है0 चाही 3 जो नगर विकास के नाम दर्ज है, को प्रार्थीगण की खातेदारी में उनके राजस्व रिकार्ड में हिस्से के अनुसार दर्ज करने के संशोधित आदेश दिये। इस आदेश के विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय को मु0 नं0 76/09 का दिनांक 15.01.15 को निस्तारण करने के पश्चात पुनः उक्त प्रार्थना पत्र पर विचारण करने की कोई अधिकारिता ही नहीं रही थी। उक्त अपीलाधीन आदेश अवैध, अनाधिकार एवं शून्य है तथा इसी आधार पर निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 136 भू राजस्व अधिनियम द्वारा प्रदत्त रिकार्ड आफ राइट्स में लिपिकीय त्रुटि तथा पक्षकारों की सहमति से अन्य त्रुटि को सुधारने के आधार क्षेत्र से परे जाकर पक्षकार के भूमि संबंधी अधिकारों को तय करते हुऐ अपीलान्ट की खातेदारी की आराजी पर प्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार प्रदान करने में विधिक त्रुटि की है। धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत केवल लिपिकीय त्रुटि को ही दुरुस्त किया जा सकता है। वह भी ऐसी त्रुटि जिसमें पक्षकार सहमत हों। उनका तर्क है कि धारा 136 को शार्ट कट में नहीं लिया जा सकता। पक्षकारों को धारा 88 राजस्थान टेनेन्सी एक्ट के तहत ही कार्यवाही करनी चाहिये। अपने कथन के समर्थन में 1994 आरआरडी 505(ए) पैरा 6 उद्धृत की। विद्वान वकील अपीलान्ट ने 1977 आरआरडी 673 बी पेश करते हुऐ तर्क दिया कि धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत कोई व्यक्ति रिकार्डेड खातेदार के विरुद्ध खातेदारी अधिकारों को चेलेन्ज कर इन्द्राज दुरुस्ती नहीं करवा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हकों का मामला आने पर उसे नियमित वाद से ही तय किया जा सकता था। उनका तर्क है कि तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट परिवाद पत्र के आधार पर तैयार की थी। रिपोर्ट से पूर्व मौके पर किसी मुस्तकिल मुकाम से पैमाईश नहीं की गई थी, न ही आराजी का मौका देखा गया है। तहसीलदार द्वारा मौके पर वैध तथा अवैध कब्जे की कोई जाँच नहीं की थी। उनका तर्क है कि ख0नं0 1723/52 रकवा 5 बीघा 18 विस्वा से हाल ख0 नं0 2503 नहीं बना है। गत ख0 नं0 1706 से हाल ख0 नं0 2503 बना है। इसलिये ख0 नं0 1706 में रैस्पो0

का कोई हक व स्वामित्व नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 15.01.2015 के आदेश में अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा रैस्पो0/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम खारिज किया जावे।

विद्वान वकील रैस्पो0 का तर्क है कि विवादित आराजी साविक ख0 नं0 1723/52 रकवा 5 बीघा 18 विस्वा वॉके ग्राम आलनपुर का कल्याण नारायण पिसरान नानगा माली खातेदार दर्ज रिकार्ड है। ख0 नं0 1723 बडा नम्बर है जिसकी नक्शा ट्रेस में तरमीम नहीं हो रही है। बन्दोवस्त विभाग ने साविक ख0 नं0 1723/52 रकवा 5 बीघा 18 विस्वा के हाल ख0 नं0 नहीं बनाये हैं। रैस्पो0 का हाल ख0 नं0 2501 रकवा 0.50 है0, 2502 रकवा 0.22 है0, 2502/3226 रकवा 0.01 है0, 2502/3227 रकवा 0.01 है0 चाह, 2053 रकवा 0.67 है0, 2717/3119 रकवा 0.09 है0 कुल किता 6 रकवा 1.50 पर कब्जा काश्त है। जबकि भू प्रबन्ध विभाग ने साविक ख0 नं0 1723/52 रकवा 5 बीघा 18 विस्वा के हाल ख0 नं0 2501 रकवा 50 एयर, 2502 रकवा 22 एयर, 2502/3226 रकवा 1 एयर, 2717/3119 रकवा 42 एयर गैर मुमकिन पाल, ख0 नं0 2718 रकवा 34 एयर, 2502/3227 रकवा 1 एयर चाह कुल किता 5 रकवा 1.50 हैकटेयर दर्ज किया है जो मुताबिक कब्जा सही नहीं है। अपीलान्ट का कब्जा हाल ख0 नं0 2503 रकवा 67 एयर पर है। ख0 नं0 2503 की सिंचाई ख0 नं0 2502/3226 से होती है। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 15.09.2017 में भी अंकित किया है कि ख0 नं0 2503 शंकर व मेघराज की खातेदारी के ख0 नं0 2501, 2502, 2502/3226 व 2502/3227 के समीप स्थित है जिस पर खातेदार शंकर के पूर्वज खेती करते आ रहे हैं। अब शंकर व मेघराज का कब्जा काश्त है। ख0 नं0 2717/3119 जो गैर मुमकिन पाल है, पर मात्र 0.09 है0 पर ही शंकर व मेघराज का कब्जा है। इस रिपोर्ट के आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय ने मौके के अनुसार रिकार्ड में दुरुस्ती करने के आदेश दिये हैं। नगर विकास न्यास का कोई कब्जा नहीं है। विवादित उक्त ख0 नं0 पर रैस्पो0 का ही कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी ख0 नं0 2717/3119 रकवा 0.42 है0 तथा ख0 नं0 2718 रकवा 0.34 है0 को सिवायचक एवं ख0 नं0 2503 रकवा 0.67 को शंकर वगैरहा के नाम दर्ज करने के आदेश दिनांक 15.01.2015 को पारित किये थे। तहसीलदार सवाई माधोपुर ने उक्त आदेश के संबंध में मार्गदर्शन चाहा था। तहसीलदार के मार्गदर्शन पत्र के आधार पर नगर विकास न्यास को पक्षकार बनाया। नगर विकास न्यास ने इस संबंध में अपना जबाब पेश किया कि उक्त आराजी नगर विकास न्यास के नाम दर्ज है अतः प्रार्थनापत्र खारिज किया जावे। तहसीलदार ने अपने जबाब में हाल ख0 नं0 2501 रकवा 0.50 है0, 2502 रकवा 0.22 है0, 2502/3226 रकवा 0.01 है0, 2502/3227 रकवा 0.01 है0, 2053 रकवा 0.67 है0, 2717/3119 रकवा 0.09 है0 कुल किता 6 रकवा 1.50 पर शंकर पुत्र कल्याण व मेघराज पुत्र शंकर माली का कब्जा माना। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर ख0 नं0 2503 रकवा 0.67 है0 पर रैस्पो0 का नाम एवं ख0

नं० 2717/3119 रकवा 0.42 है० एवं 2718 रकवा 0.34 है० पर नगर विकास न्यास के नाम खातेदारी दर्ज करने के आदेश पारित किये।

यह सही है कि साबिक ख० नं० 1723 बडा नम्बर है जिसकी नक्शा ट्रेस में तरमीम नहीं हो रही है। रैस्पो० विवादित आराजी साबिक ख० नं० 1723/52 रकवा 5 बीघा 18 विस्वा वॉके ग्राम आलनपुर के खातेदार दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 15.09.17 के अनुसार रैस्पो० का हाल ख० नं० 2501 रकवा 0.50 है०, 2502 रकवा 0.22 है०, 2502/3226 रकवा 0.01 है०, 2502/3227 रकवा 0.01 है० चाह, 2053 रकवा 0.67 है०, 2717/3119 रकवा 0.09 है० कुल किता 6 रकवा 1.50 पर काबिज काश्त है। जबकि भू प्रबन्ध विभाग ने साबिक ख० नं० 1723/52 रकवा 5 बीघा 18 विस्वा के हाल ख० नं० 2501 रकवा 50 एयर, 2502 रकवा 22 एयर, 2502/3226 रकवा 1 एयर, 2717/3119 रकवा 42 एयर गैर मुमकिन पाल, ख० नं० 2718 रकवा 34 एयर, 2502/3227 रकवा 1 एयर चाह कुल किता 5 रकवा 1.50 हैक्टियर दर्ज किया है जो मुताबिक कब्जा सही नहीं है। तहसीलदार द्वारा बनाये गये नजरी नक्शे से भी यह जाहिर है कि ख० नं० 2503, 2502, 2502/3227, 2502/3226 की मेड़ चपेटमा है। अपीलान्ट का कब्जा हाल ख० नं० 2503 रकवा 67 एयर पर है। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 15.09.2017 में भी अंकित किया है कि ख० नं० 2503 शंकर व मेघराज की खातेदारी के ख० नं० 2501, 2502, 2502/3226 व 2502/3227 के समीप स्थित है जिस पर खातेदार शंकर के पूर्वज खेती करते आ रहे हैं। अब शंकर व मेघराज का कब्जा काश्त है। ख० नं० 2717/3119 जो गैर मुमकिन पाल है पर मात्र 0.09 है० पर ही शंकर व मेघराज का कब्जा है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड में दुरुस्ती करने के आदेश दिये हैं। जिसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता नहीं है। बन्दोवस्त रिकार्ड में ख० नं० 2718 उक्त खसरा नम्बरान से दूर है। रैस्पो० का ख० नं० 2503 रैस्पो० के अन्य खसरा नम्बरान से मिले हुऐ हैं। तहसीलदार ने उक्त ख० नं० पर नगर विकास न्यास का कोई कब्जा नहीं बताया गया है। विवादित उक्त ख० नं० 2503 पर रैस्पो० का ही कब्जा काश्त बताया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर जो निर्णय पारित किया है, उसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.10.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर